न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,नागौर

पीठासीन अधिकारी–पीयूष समारिया, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या– 53 /2022
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर– 2022/67

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा चांदपोल, जोधपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी	बनाम	1. मैसर्स श्री विनायक लाइम एण्ड केमीकल जरिये प्रोपराईटर श्री राजेन्द्र सिंह पता–गांव पोस्ट बीटण तहसील मेडता जिला नागौर 2. राजेन्द्र सिंह प्रोपराईटर मैसर्स श्री विनायक लाइम एण्ड केमीकल पता गांव पोस्ट बीटण तहसील मेडता जिला नागौर 3. बालसिंह पुत्र अमरसिंह निवासी गांव पोस्ट बीटण तहसील मेडता जिला नागौर

आदेश **दिनांक: 14.02.2022**

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ। जो दर्ज रजिस्टर हो।

वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैक ने अप्रार्थी/ ऋणी को रूपये **56,92,237/–(अक्षरे छप्पन लाख बरानवे हजार दो सौ सैंतीस रूपये मात्र) दिनांक 12.05.2020** को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में **सम्पति– जायदाद नं. 1 श्री राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री गणपतसिंह के नाम की इण्डस्ट्रीयल भूमि एण्ड बिल्डिंग वाके खसरा नम्बर 1962/1624, गांव बीटण तहसील मेडता जिला नागौर बनाप 3200 वर्गमीटर मय समस्त स्टॉक, माल व मशीनरी, जिसके पडौस विगतः– उत्तर में– सरकारी भूमि, दक्षिण में– खसरा नं. 1642 की शेष भूमि, पूर्व में– खसरा नम्बर 1642, पश्चिम में–सरकारी भूमि, जायदाद नं. 2 श्री बालसिंह पुत्र अमरसिंह के नाम की आवासीय जायदाद मकान वाके गांव बीटण, तहसील मेडता जिला नागौर बनाप 1551 वर्गफीट, जिसके पडौस की विगतः– उत्तर में– शिशपाल का मकान, दक्षिण में– खुद का मकान एंव मांगूसिंह का मकान, पूर्व में–रोड, पश्चिम में–सोहनसिंह का मकान, जायदाद नं. 3 श्री राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री गणपतसिंह के नाम की आवासीय जायदाद मकान वाके गांव बीटण, तहसील मेडता जिला नागौर बनाप 1909.12 वर्गफीट, जिसके पडौस की विगतः– उत्तर में– पुसाराम सियाग का बाडा, दक्षिण में– घीसाराम गोलिया का मकान, पूर्व में–रास्ता, पश्चिम में– घीसाराम का मकान**, जो प्रार्थी बैक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एंव जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये ।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैक के नियमानुसार भुगतान नही चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को **दिनांक 31.05.2021** को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में **रूपये 53,21,147.70/–(अक्षरे तरेपन लाख इक्कीस हजार एक सौ सैंतालीस रूपये एंव पैसे सत्तर मात्र मात्र) दिनांक 31.05.2021 एंव इसके पश्चात् का ब्याज एंव अतिरिक्त खर्चे, लागत इत्यादि भुगतान** बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक ने ऋणी/अप्रार्थी को **दिनांक 28.06.2021** को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैक को [illegible] को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर ऋण राशि **रूपये 53,21,147**[illegible]**रे तरेपन लाख इक्कीस हजार एक सौ सैंतालीस रूपये एंव पैसे सत्तर मात्र** [illegible] **इसके पश्चात् का ब्याज एंव अतिरिक्त खर्चे, लागत इत्यादि भुगतान** को [illegible] था, प[illegible] ऋणी/अप्रार्थीगण ने [illegible] नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्त[illegible]र्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2022.06.24 10:51:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक को बंधक सम्पति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैक सिक्योरिटीज सम्पति का विवरण :– **जायदाद नं. 1 श्री राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री गणपतसिंह के नाम की इण्डस्ट्रीयल भूमि एण्ड बिल्डिंग वाके खसरा नम्बर 1962/1624, गांव बीटण तहसील मेडता जिला नागौर बनाप 3200 वर्गमीटर मय समस्त स्टॉक, माल व मशीनरी, जिसके पडौस विगतः– उत्तर में– सरकारी भूमि, दक्षिण में– खसरा नं. 1642 की शेष भूमि, पूर्व में– खसरा नम्बर 1642, पश्चिम में–सरकारी भूमि, जायदाद नं. 2 श्री बालसिंह पुत्र अमरसिंह के नाम की आवासीय जायदाद मकान वाके गांव बीटण, तहसील मेडता जिला नागौर बनाप 1551 वर्गफीट, जिसके पडौस की विगतः– उत्तर में– शिशपाल का मकान, दक्षिण में– खुद का मकान एंव मांगूसिंह का मकान, पूर्व में–रोड, पश्चिम में–सोहनसिंह का मकान, जायदाद नं. 3 श्री राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री गणपतसिंह के नाम की आवासीय जायदाद मकान वाके गांव बीटण, तहसील मेडता जिला नागौर बनाप 1909.12 वर्गफीट, जिसके पडौस की विगतः– उत्तर में– पुसाराम सियाग का बाडा, दक्षिण में– घीसाराम गोलिया का मकान, पूर्व में–रास्ता, पश्चिम में– घीसाराम का मकान,** जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डौक्यूमेन्टस का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैक से रूपये **56,92,237/–(अक्षरे छप्पन लाख बरानवे हजार दो सौ सेंतीस रूपये मात्र) दिनांक 12.05.2020** को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार हैः– प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विकय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा,उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा,और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर –(क)उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमो को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय मे आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानो को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध मे पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते है कि [illegible] ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष मे बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व मे **सम्पति– जायदाद नं. 1 श्री राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री गणपतसिंह के नाम की इण्डस्ट्रीयल भूमि एण्ड बिल्डिंग वाके खसरा नम्बर 1962/1624, गांव बीटण तहसील मेडता जिला नागौर बनाप 3200 वर्गमीटर मय समस्त स्टॉक, माल व मशीनरी, जिसके पडौस विगतः– उत्तर में– सरकारी भूमि, दक्षिण में– खसरा नं. 1642 की शेष भूमि, पूर्व में– खसरा नम्बर 1642, पश्चिम में–सरकारी भूमि, जायदाद नं. 2 श्री बालसिंह पुत्र अमरसिंह के नाम की आवासीय जायदाद मकान वाके गांव बीटण, तहसील मेडता जिला नागौर बनाप 1551 वर्गफीट, जिसके पडौस की विगतः– उत्तर में– शिशपाल का**

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2022.06.24 10:51:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

मकान, दक्षिण में– खुद का मकान एंव मांगूसिंह का मकान, पूर्व में–रोड, पश्चिम में–सोहनसिंह का मकान, जायदाद नं. 3 श्री राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री गणपतसिंह के नाम की आवासीय जायदाद मकान वाके गांव बीटण, तहसील मेडता जिला नागौर बनाप 1909.12 वर्गफीट, जिसके पडौस की विगतः– उत्तर में– पुसाराम सियाग का बाडा, दक्षिण में– घीसाराम गोलिया का मकान, पूर्व में–रास्ता, पश्चिम में– घीसाराम का मकान, जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैक के हक मे बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध मे संबधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे मे हो तो उन दस्तावेजो को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर एंव मजिस्ट्रेट,नागौर
जिला मजिस्ट्रेट नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2022.06.24 10:51:26 IST
Reason: SelfAttested